भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2459

03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों के लिए योजनाएं

2459. श्री गोपाल चिन्नाया शेट्टी:

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा: :

श्रीमती रीती पाठक:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में किसानों की स्थिति इस तथ्य के बावजूद दयनीय है कि भारत मुख्य रूप से एक कृषि-प्रधान देश है;

(ख) क्या सरकार ने किसानों के कल्याण लिए गत पांच वर्षों के दौरान अच्छी उपज के लिए सिंचाई सुविधाएं, बीज, बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य मे वृद्धि करने जैसे कई निर्णय लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) साठ वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, यदि कोई हों, का ब्यौरा कया है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रति एकड़ फसल उत्पादकता कम है और यदि हां तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ख) एवं (ड.): सरकार देश में किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। कृषि राज्य का विषय है। तथापि, राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, सरकार कृषि के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देता है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी) गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने और सुदृढ़ीकृत करने पर केंद्रित है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों द्वारा देय अत्यंत कम प्रीमियम दर पर गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के सापेक्ष पूर्व-बुवाई से लेकर फसलोपरांत नुकसान तक व्यापक फसल बीमा प्रदान

करता है। पिछले 5 वर्षों में इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिसूचित फसलों का एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है। कृषि वर्ष 2018-19 से, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत की रिटर्न के साथ बढ़ाया गया था। इसके अलावा, किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा पीएम-किसान, कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन इत्यादि जैसी कई योजनाएं प्रचालित की जा रही हैं।

(ग): विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाएं सभी किसानों पर लागू होती हैं, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग के हों। तथापि, वर्ष 2019-20 में, सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई) की शुरूआत की है।

(घ): खाद्यान्नों के राज्य-वार उत्पादकता संबंधी आंकड़े **अनुबंध-II** में संलग्न हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.2459

<u>अनुबंध-I</u>

<u>बजट आवंटन</u>

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	**मिशन/योजना का नाम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	9000.00	13000.00	14000.00	15695.00	16000.00
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी)	3400.00	4000.00	3500.00	4000.00	4000.00
3	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	200.00	332.00	380.13	378.77	448.00

लो.स.अता.प्र.सं.2459

अनुबंध-II

कुल खाद्यान्न की उपज

(किग्रा / हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
आंध्र प्रदेश	2694	3022	2884
अरुणाचल प्रदेश	1600	1631	#
असम	2078	2105	2139
बिहार	2402	2302	2474
छत्तीसगढ	1617	1584	1681
गोवा	2469	2411	#
हरियाणा	3981	3891	3970
हिमाचल प्रदेश	2049	2180	2228
जम्मू एवं कश्मीर	2178	2000	#
झारखंड	1623	1817	1907
कर्नाटक	1422	1658	1651
केरल	2890	3025	3196
मध्य प्रदेश	1970	2199	2002
महाराष्ट्र	1071	1163	1394
मणिपुर	1688	2030	#
मेघालय	1835	2562	#
मिजोरम	1691	1676	#
नागालैंड	1664	1660	#
ओडिशा	1766	1870	1896
पंजाब	4658	4527	4704
राजस्थान	1437	1469	1536
सिक्किम	1669	1669	#
तमिलनाडु	2972	3052	3020
तेलंगाना	3035	3483	3263
त्रिपुरा	2673	2770	#
उत्तर प्रदेश	2803	2816	2919
उत्तराखंड	2247	2343	2335
पश्चिम बंगाल	2938	2904	3013
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1945	2939	#
चंडीगढ़	4974	4977	#
दादरा एवं नागर हवेली	1853	1994	#
दिल्ली	3567	3570	#
दमन और दीव	1281	1634	#
पुदुचेरी	3345	3074	#
अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	2054
अखिल भारतीय	**2286**	**2343**	**2373**

एनए - लागू नहीं #- अन्य में शामिल

*- तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार

*****